न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 201/2016/223 आर टी ए

सोहनलाल पुत्र भानीराम जाति कुम्हार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सुरस्ती पत्नि पृथ्वीराज पुत्री भानी राम जाति कुम्हार निवासी ताखरांवाली पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बिमला पत्नि चानणराम पुत्री भानीराम जाति कुम्हार निवासी ताखरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शांति पत्नि चेतराम पुत्री भानीराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/वादीगण

4. भानीराम पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0सं0 170/2013 अनवानी सुरस्ती आदि बनाम भानीराम आदि

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र निमीवाल अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेशकुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–14.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि वादीगण के पिता के नाम चक 4 एमडी के खाता सं. 65/53 प.न. 175/333 मु.न. 51 कि.न. 6, 7, 14 ता 17, प.न. 176/333 मु.न. 52 के कि.न. 13 ता 25 कुल 4.807 है0 कमाण्ड व अनकमाण्ड

मय गैर मुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण के पिता ने उक्त भूमि का घरूबंटवारा कर उक्त आराजी मे से भानीराम ने प.न. 175/333 मु.न. 51 कि.न. 6 व प.न. 176/333 मु.न. 52 कि.न. 16, 24, 25 कुल 1.012 है0 स्वयं के नाम से तथा शेष रकबा वादीगण को बहिस्सा बराबर दे रखी है। जिसकी घोषणा वादीगण अपने नाम करवाने का अनुतोष चाहा गया तथा वादीगण व प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 4 ने राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण अपीलाधीन निर्णय जरिये डिक्री पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गलत व विधि विरूद्ध एवं अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि चक 4 एमडी के खाता सं. 65/53 प.न. 175/333 मु.न. 51 कि.न. 6, 7, 14 ता 17, प.न. 176/333 मु.न. 52 के कि.न. 13 ता 25 कुल 4.807 है0 कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रेस्पो0 सं. 4 भानीराम जो अपीलांट का पिता है, को आवंटित हुई है जो पैतृक सम्पति नही है। उक्त प्रश्नगत भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का कोई हक नही है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के ही कब्जा काश्त मे है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 4 को आवंटित कृषि भूमि है, के संबंध मे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने कथित घरूबंटवारा के आधार पर प्रस्तुत हुआ है। घरूबंटवारा के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है व न ही अपीलांट को पक्षकार बनाया है क्योंकि अपीलांट भी रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का भाई है व उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। उक्त आराजी की रकमराज व आबयाना आदि जमा करवाने के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विभाजन प्रस्ताव व कब्जा की रिपोर्ट नही ली। अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की

जानकारी अपीलांट को नही थी। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया है, जिन्हे स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कर अपील अन्दर मियाद की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 के पिता भानीराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का घरूबंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घरूबंटवारा अपने अपने हिस्से की आराजी भूमि काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता भानीराम के दर्ज है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरांत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया गया है जो सही एवं विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता रेस्पो0 सं. 4 भानीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, आवंटित कृषि भूमि है। उक्त भूमि के संबंध मे अपीलांट की बहनो रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा रेस्पो0 सं. 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया जिसके कारण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। जबकि प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व अपीलांट के पिता भानी राम की आवंटित भूमि है ना की पैतृक कृषि भूमि है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 भानीराम के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाये बिना भानीराम के नाम दर्ज भूमि की घोषणा नही करवा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर दिये अपीलांट के नाम दर्ज भूमि मे 1/2 हिस्सा की घोषणा की डिक्री रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे पारित कर दी गई जिसके कारण अपीलांट के हित प्रभावित हुये है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.03.69 के आधार पर अपीलांट के नाम से दर्ज हुई है। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे हस्तक्षेप किये जाने के पर्याप्त आधार होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिपूर्ण नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 201/2016/223 आर टी ए

सोहनलाल पुत्र भानीराम जाति कुम्हार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सुरस्ती पत्नि पृथ्वीराज पुत्री भानी राम जाति कुम्हार निवासी ताखरांवाली पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बिमला पत्नि चानणराम पुत्री भानीराम जाति कुम्हार निवासी ताखरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शांति पत्नि चेतराम पुत्री भानीराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/वादीगण

4. भानीराम पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0सं0 170/2013 अनवानी सुरस्ती आदि बनाम भानीराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेन्द्र निमीवाल अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेशकुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2, श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.12.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ